



163

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक- /2011 R-982-III/2011

चतुरी पुत्र लटोरा साहू, निवासी-कुम्हरौआ,
तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

—आवेदक

बनाम

1. रामकली पत्नी नारायण दर्जी, निवासी-काली पहाड़ी, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
2. श्रीपत पुत्र लटोरा साहू,
3. बाबूलाल पुत्र मोहन लाल,
4. मटटूलाल पुत्र मोहनलाल,
5. तिज्जू पुत्र गोविंदी
6. भगवान पुत्र गोविंदी
7. जगन्नाथ पुत्र कल्लू
8. सीताराम पुत्र कल्लू,
9. रमेश पुत्र कल्लू
10. मुस0 कौशिया विधवा कल्लू
निवासीगण-खिड़क कुम्हरौआ, तहसील करैरा,
जिला शिवपुरी (म.प्र.)
11. मुस. देवकी पुत्री कल्लू
12. श्रीमती रामकुमारी पत्नी रामदेव दर्जी,
निवासीगण-काली पहाड़ी, तहसील करैरा, जिला
शिवपुरी (म.प्र.)

—अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक
54/2008-09/निगरानी में पारित आदेश दिनांक
28/02/2011 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959
की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

25/6/11

Ashwargav
25-6-2011
अमित भार्गव
(भा.वि.पत्ता)



3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-982-तीन-2011

जिला-शिवपुरी

चतुरी लटोरा विरुद्ध रामकली आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर
28-05-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-शिवपुरी प्रकरण क्रमांक 54/2008-09/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-02-2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-07-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;"> (आर0के0 जम) सदस्य</p>	